

**केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन**  
**इलाहाबाद**

Office Order No. CORE/S/220


Dt. 30/12/2010.

**विषय: Registration/Empanelment of Firms for Local Purchase in CORE/ALD**

कोर में नये फर्मों के Empanelment हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया प्रस्तावित है:-

- (i) Empanelment का कार्य लोकल परचेज सेक्शन द्वारा किया जायेगा।
- (ii) लोकल परचेज Empanelment Group of Item के लिए किये जायेंगे तथा यह groups of item निम्नवत रहेंगे।
  - 1) Hardware, Paint & Sanitary
  - 2) Signal & Telecom Items
  - 3) Electrical Items
  - 4) Computer Items
  - 5) Furniture
  - 6) Printing & Stationery
  - 7) Clothing & Furnishing
  - 8) General Items (Not covered in above groups)
- (iii) प्रारम्भिक इम्पैनलमेन्ट के लिए Processing fee के रूप में रु० 1000/- लिया जाएगा तथा नवीनीकरण के लिए Processing fee रु० 500/- रखा जाएगा। यह non refundable होगा।
- (iv) प्रारम्भिक इम्पैनलमेन्ट एक साल के लिए तथा नवीनीकरण दो साल के लिए होगा, जो कि परफारमेंस के आधार पर होगा।
- (v) इम्पैनलमेन्ट के लिए उन्ही फर्मों को consider किया जायेगा, जिनका office/shop इलाहाबाद शहर की सीमा में है तथा जिनके पास निम्नलिखित document उपलब्ध हो :-
  - 1) PAN No.
  - 2) TIN No.
  - 3) Permission for carrying out business under Local Shop and Establishment Act or factory Act.
  - 4) Partnership deed/Proprietorship deed
- (vi) उपरोक्त documents मिलने के बाद फर्म का निरीक्षण AMM /SMM स्तर के अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जो फर्म NCR के इलाहाबाद मण्डल अथवा NCR के मुख्यालय में स्थानीय खरीद / नियमित खरीद हेतु Empaneled /Registered है, उनका निरीक्षण AMM/SMM द्वारा नहीं होगा तथा उनका document के आधार पर Empanelment किया जाएगा।
- (vii) Empanelment हेतु AMM/SMM के निरीक्षण रिपोर्ट तथा सिफारिश को उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक/III द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
- (viii) उपरोक्त Empanelment रु० 2 लाख तक एवं रु० 2 लाख से ऊपर तथा 5 लाख तक के दो ग्रुप में विभाजित रहेगा। उपरोक्त Empanelled फर्मों को सीमित निविदा भेजी जा सकेगी।
- (ix) उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक/III Empanelment renewal/ cancellation हेतु सक्षम अधिकारी होंगे।

उपरोक्त हेतु भंडार नियंत्रक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

  
(बी. बी. कालरा)  
वरि. सामग्री प्रबन्धक  
कृते भंडार नियंत्रक

प्रतिलिपि: 1) सभी भंडार अधिकारी (मुख्यालय एवं परियोजना)  
2) सभी कार्यालय पर्यवेक्षक/कोर (मुख्यालय)

  
07-01-11